न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : **आशीष श्रीवास्तव**
सदस्य

निगरानी प्रकरण कमांक 3232–तीन/13 विरूद्ध आदेश दिनांक 31–7–2013 पारित द्वारा अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा अपील प्रकरण कमांक 343/अपील/03–04.

.....

गुरू रघुवंश प्रसाद आत्मज गुरू गिरजा प्रसाद अग्निहोत्री
उम्र 78 वर्ष निवासी ग्राम रौरा तहसील व थाना रायपुर कर्चु0 जिला रीवा म0 प्र0

.....आवेदक

विरूद्ध

धर्मेन्द्र कुमार आत्मज कौशल प्रसाद
उम्र वर्ष निवासी ग्राम रौरा तहसील व थाना
रायपुर कर्चु0 जिला रीवा म0 प्र0

.....अनावेदक

.....

श्री अरविन्द पाण्डे अभिभाषक, आवेदक
श्री प्रमोद मिश्रा, अभिभाषक, अनावेदक

.....

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 7-10-2015 को पारित)

यह निगरानी प्रकरण कमांक 3232–तीन/13 राजस्व मण्डल के समक्ष म0 प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 (जिसे संक्षेप में बाद में केवल संहिता कहा जावेगा) की धारा 50 के अंतर्गत अपर आयुक्त, रीवा के द्वारा उनके प्रकरण कमांक 343/अपील/03–04 में पारित आदेश दिनांक 31–7–13 के विरूद्ध प्रस्तुत हुआ है।

2/ मेरे द्वारा प्रकरण में उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं के तर्क सुने गये हैं, एवं इस तथा अधीनस्थ न्यायालयों के समस्त उपलब्ध अभिलेखों का परिशीलन किया गया है । इनके आधार पर प्रकरण का संक्षेप इस प्रकार बनता है । निगराकार रघुवंश प्रसाद तथा गैर निगराकार के पिता कौशल प्रसाद चचेरे भाई रहे हैं । वाद विषय की भूमि खसरा नंबर 1046/1 रकबा 0.749 है, ग्राम रौरा, तहसील रायपुर कर्चुलियान, जिला रीवा (पूर्व सर्वे नंबर 904/1 तथा 1080) है । यह भूमि पहले रघुवंश प्रसाद के नाम रही । दिनांक 25–2–82 को नामांतरण पंजी कमांक 16 पर इसका कौशल प्रसाद के हित में, रघुवंश प्रसाद की सहमति से, बंटवारा नामांतरण होना बताया जा रहा है । तदुपरान्त वर्ष 1988 में इस भूमि का कौशल प्रसाद एवं उनके बच्चों के मध्य बंटवारा नामांतरण होना बताया गया है । यह सब होने के वर्षों बाद, तहसीलदार द्वारा उनके प्रकरण कमांक 30/अ6अ/2002–03 में रघुवंश प्रसाद के आवेदन पर दिनांक 14–8–2003 को यह आदेश पारित किया गया कि चूँकि नामांतरण पंजी कमांक 16 में 23–5–82 को हल्का पटवारी की लापरवाही की वजह से गैर निगराकार धर्मेन्द्र पिता कौशलप्रसाद का नाम दर्ज हो गया था, अतः उसे निरस्त करके रघुवंश प्रसाद का नाम दर्ज किया जाए । यह करते समय तहसीलदार ने धर्मेन्द्र कुमार के विरूद्ध प्रकरण एक पक्षीय कर दिया था । इसके कुछ ही दिन उपरान्त, दिनांक 19–8–03 को धर्मेन्द्र कुमार के समक्ष उपस्थित होने पर तहसीलदार ने धारा 32 म0 प्र0 भू–राजस्व संहिता का हवाला लेते हुए, यह लिखते हुये कि रघुवंश प्रसाद द्वारा उनके समक्ष तथ्यों को छिपाकर आवेदन किया गया था, अपना 14–8–03 का आदेश अपास्त कर प्रविष्टि पूर्ववत् (अर्थात धर्मेन्द्र कुमार के नाम) में होने का आदेश कर दिया । इस आदेश की अपील एसडीओ

रामपुर कर्चुलियान के समक्ष उनके प्रकरण कमांक 24/अपील/अ6अ/02–03 में हुई, तथा उन्होंने अपने आदेश दिनांक 23–4–04 द्वारा तहसीलदार का आदेश दिनांक 19–8–03 यह कहते हुए निरस्त किया कि 14 तथा 19–8–03 के आदेशों में तहसीलदार के समक्ष एक ही तथ्य थे, उन्होंने (तहसीलदार ने) भूल नहीं लापरवाही की थी, तथा पुनर्विलोकन का प्रावधान होने के बावजूद उनके (तहसीलदार के) द्वारा धारा 32 का उपयोग करना उचित नहीं था । एसडीओ के इस आदेश के विरूद्ध धर्मेन्द्र ने अपर आयुक्त के समक्ष अपील की, जिन्होंने अपने प्रकरण कमांक 343/अपील/03–04 में दिनांक 31–7–13 को आदेश पारित कर एसडीओ का आदेश अपास्त कर दिया । जिससे परिवेदित होकर रघुवंश प्रसाद ने यह निगरानी राजस्व मण्डल में दायर की ।

3/ अपने तर्क में निगराकार पक्ष के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रमुख रूप से यह बिन्दु उठाए गए कि अपर आयुक्त ने अपने आदेश में इस बात पर विचार नहीं किया कि (1) क्या अधीनस्थ न्यायालय को धारा 32 में कार्यवाही करने का अधिकार था या नहीं, जबकि प्रकरण में केवल पुनर्विलोकन या अपील संभव थी, (2) क्या दिनांक 19–8–2003 के आदेश के पूर्व रघुवंश को बिना सुने तहसीलदार द्वारा अपना पहला आदेश दिनांक 14–8–03 निरस्त किया जाना ठीक था, तथा (3) क्या नामांतरण पंजी कमांक 16 पर हुए निर्णय दिनांक 23–5–82 का बिन्दु अपर आयुक्त के समक्ष उठाया जाना ठीक था, जबकि वह अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष नहीं उठाया गया था ।

4/ गैर निगराकार पक्ष के विद्वान अधिवक्ता ने अपने तर्क में यह बिन्दु उठाया कि रघुवंश प्रसाद और कौशल प्रसाद, जो चचेरे भाई थे, के मध्य आपसी सहमति के आधार पर एवं इश्तहार प्रकाशन के उपरान्त 1982 में बंटवारा नामांतरण हुआ था, जिसके प्रमाण स्वरूप नामांतरण पंजी कमांक 16 में रघुवंश प्रसाद के हस्ताक्षर मौजूद है । इसके बाद 1988 में कौशल प्रसाद ने अपने बच्चों में बंटवारा कर दिया । इसके बाद लंबे अरसे तक निगराकार पक्ष द्वारा इन गतिविधियों को चैलेंज नहीं किया गया,

और वर्ष 2002–03 में नामांतरण के त्रुटिसुधार का आवेदन लगा दिया । ऐसे में प्रथमतः तहसीलदार द्वारा रघुवंश प्रसाद के वर्ष 2002–03 के आवेदन को समयबाधित मानकर खारिज कर देना चाहिये था । किन्तु चूँकि तहसीलदार ने अपने आदेश दिनांक 14–8–03 के पूर्व धर्मेन्द्र या कौशल प्रसाद की सुनवाई नहीं की थी, अतः दिनांक 19–8–03 को धर्मेन्द्र की उपस्थिति उपरान्त एवं समस्त अभिलेखों से अवगत होने के बाद, तहसीलदार द्वारा जो धारा 32 म0 प्र0 भू–राजस्व संहिता के अंतर्गत जो त्रुटिसुधार किया, वह व्यापक न्यायहित में उपयुक्त था ।

5/ अपने प्रत्युत्तर में निगराकार अधिवक्ता ने तर्क किया कि (1) 1982 की नामांतरण पंजी क्रमांक 16 में उन्हें रघुवंश प्रसाद के हस्ताक्षर फर्जी लगते हैं, (2)19–8–03 के आदेश के पूर्व रघुवंश को नहीं सुना गया, (3) तहसीलदार को धारा 32 का उपयोग करके अपना पूर्व आदेश दिनांक 14–8–03, बगैर वरिष्ठ अधिकारी की अनुमति लिए, निरस्त नहीं करना चाहिए था, तथा (4) रघुवंश प्रसाद को तहसीलदार के 19–8–2003 के आदेश के विरूद्ध अपील करनी चाहिये थी ।

6/ मेरे द्वारा प्रकरण में पूर्ण अध्ययन एवं विचार उपरान्त निम्न बिन्दु निर्णय हेतु तय किये जाते है :–

(1) क्या तहसीलदार को इस प्रकरण में धारा 32 का उपयोग करके, बगैर वरिष्ठ अधिकारी की अनुमति प्राप्त किये, अपना ही पूर्व आदेश अपास्त करके नया आदेश पारित करने का अधिकार था ?

(2) क्या रघुवंश प्रसाद द्वारा वर्ष 2002–03 में तहसीलदार के समक्ष लगाया गया आवेदन समय–बाधित था ?

(3) क्या वर्ष 1982 की कार्यवाही वास्तविक थी या नहीं ?

(4) क्या अपर आयुक्त के (या किसी वरिष्ठ न्यायालय के) समक्ष कोई ऐसे बिन्दु उठे जो अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष नहीं उठे थे? इस बिन्दु की प्रकरण में क्या एवं कितनी प्रासंगिकता है ?

7/ इन बिन्दुओं पर मेरी विवेचना निम्नानुसार है:–

(1) यह सही है कि धारा 32 म0 प्र0 भू–राजस्व संहिता में, जब अन्य विधिक प्रावधान ना हो, व्यापक न्यायहित में अन्तर्निहित शक्तियों का उल्लेख है । इस प्रकरण में धर्मेन्द्र कुमार के पास तहसीलदार के आदेश दिनांक 14–8–03 के विरूद्ध अपील या निगरानी में जाने का विकल्प था । रिकार्ड के अनुसार इस आदेश के पूर्व तहसील का 23–6–03 की पेशी का नोटिस धर्मेन्द्र ने अपने हस्ताक्षर से प्राप्त किया था, जिसके उपरान्त उसके विरूद्ध 23–6–03 को प्रकरण एक पक्षीय करने का निर्णय तहसीलदर ने लिया था ।

तदुपरान्त दिनांक 19–8–03 को धर्मेन्द्र की उपस्थिति तहसील द्वारा इसी प्रकरण में मान्य की गई, एवं ऐसा करते समय धर्मेन्द्र की पहले की अनुपस्थिति के किन्हीं क़ारणों अथवा उस की माफी का, तहसीलदार द्वारा इस दिनांक 19–8–03 को तहसील द्वारा कोई उल्लेख नहीं किया गया, हालांकि धर्मेन्द्र ने अपने संबंधित आवेदन में इसका कारण नोटिस की उस पर फर्जी तामीली होना लिखा है ।

दिनांक 19–8–03 के आदेश के पूर्व तहसीलदार द्वारा अपने से वरिष्ठ अधिकारी से अनुमति नहीं ली गई, जो उनके द्वारा (क) 1988 राजस्व निर्णय 45 भगवती प्रसाद वि0 मार्केटिंग सोसायटी, करेरा, तथा (ख) 1969 राजस्व निर्णय 127 मो0 बशीर खान वि0 राजस्व मण्डल एवं अन्य में पारित निर्णयों के प्रकाश में प्राप्त करनी चाहिए थी ।

वहीं दूसरे दृष्टिकोण से देखें तो कि तहसीलदार द्वारा दिनांक 14–8–03 को पारित आदेश, चूंकि समस्त प्रासंगिक अभिलेखों को देखने एवं विचार में लेने के उपरान्त पारित नहीं हो पाया था अतः वह एक न्यायपूर्ण आदेश बतौर तहसीलदार द्वारा पारित नहीं हो पाया था । ऐसे में, जैसे ही दिनांक 19–8–03 को तहसीलदार को कतिपय प्रासंगिक तथ्यों/अभिलेखों का ज्ञान हुआ, तो उन्होंने व्यापक न्याय के हित में एवं अनावश्यक न्यायिक वाद को ना बढ़ने देने के दृष्टिकोण से धारा 32 की शक्तियों का उपयोग करते हुए अपना आदेश दिनांक 19–8–03 पारित कर दिया ।

धारा 32 के उपयोग की वैधता प्रकरण विशेष की परिस्थितियों के प्रकाश में ही नियत हो सकती है । इस प्रकरण में प्रथम दृष्टया इस धारा का उपयोग, परिस्थितियों के प्रकाश में, वैध दिखता है, किन्तु तहसीलदार द्वारा उनका आदेश दिनांक 19–8–03 पर्याप्त आधार लिखते हुए स्पष्ट रूप से बोलता हुआ नहीं बनाया गया है, जिसकी वजह से उनके द्वारा इस दिनांक (19–8–03) को इस धारा के उपयोग किये जाने पर प्रश्नचिन्ह लगा है एवं न्यायिक वाद बढ़ा है ।

(2) रघुवंश प्रसाद द्वारा वर्ष 2002–03 में तहसीलदार के समक्ष आवेदन प्रस्तुत करने के साथ संक्षिप्ततः उसे 'तत्समय' प्रस्तुत करने के आधार लिखे हैं । अभिलेख के अनुसार आवेदक अथवा अनावेदक द्वारा तहसीलदार के समक्ष समयावधि का बिन्दु नहीं उठाया गया है, एवं तहसीलदार ने भी उस पर विचार या विनिर्णय नहीं किया है। अतः अब, गैर निगराकार अधिवक्ता द्वारा उसे अपने मौखिक तर्क में इस बिन्दु का उठाना स्वीकार्य नहीं है ।

(3) अभिलेखों के परिशीलन से यह परिलक्षित होता है कि अपर आयुक्त एवं एसडीओ न्यायालयों में उभय पक्षकारों को उनके पक्ष समर्थन के अवसर मिले हैं । तहसील न्यायालय के रिकार्ड अनुसार 14–8–03 के पूर्व धर्मेन्द्र को एवं 14–8–03 से 19–8–03 के मध्य रघुवंश को पक्ष समर्थन का अवसर मिला होना रिकार्ड से परिलक्षित नहीं होता ।

(4) इस न्यायालय के पास इस बात को मानने का कोई आधार या कारण नहीं है कि वर्ष 1982 की कार्यवाही वास्तविक एवं पूर्णतः सत्यपरक नहीं थी । इसके विनिश्चय के लिए वर्ष 1982 की नामांतरण पंजी कमांक 16 की मूल प्रति के परीक्षण की आवश्यकता होगी । यह अभिलेख इस न्यायालय में नहीं उपलब्ध हुआ है।

(5) हालांकि एसडीओ, फिर अपर आयुक्त और फिर राजस्व मण्डल में वाद तहसीलदार के आदेश दिनांक 19–8–03 के आधार पर बढ़ा है, किन्तु 19–8–03 के आदेश के पूर्व तहसील के समक्ष कौन–कौन से तथ्य एवं अभिलेख प्रकट हुए, यह तहसील न्यायालय के प्रकरण में रिकार्ड पर देखने को नहीं मिलता । एसडीओ एवं अपर आयुक्त न्यायालयों में कतिपय प्रासंगिक बिन्दु /डिटेल्स रिकार्ड पर दिखती हैं।

8/ उपरोक्त विवेचना एवं बिन्दुओं के प्रकाश में मेरे द्वारा यह प्रकरण राजस्व मण्डल से समाप्त किया जाकर अपर आयुक्त, रीवा को इस निर्देश के साथ प्रत्यावर्तित किया जाता है कि वे अपने न्यायालय का अपील प्रकरण कमांक 343/अपील/03—04 पुनः खोले । साथ ही वे 1982 की विषयांकित नामांतरण पंजी कमांक 16 की मूल प्रति आहूत करके उसमें रघुवंश प्रसाद एवं कौशल प्रसाद के मध्य हुए बंटवारा नामांतरण दिनांक 23—5—82 की वास्तविकता एवं पूर्ण सत्यपरकता पर अपना समाधान करें एवं उस पर बोलता हुआ निर्णय पारित करें । तदुपरान्त, इसके एवं प्रकरण के अन्य प्रासंगिक तथ्यों एवं अभिलेखों के प्रकाश में वाद भूमि के वैध भूमिस्वामी अधिकारों के संबंध में नए सिरे से बोलता हुआ निर्णय पारित करें । क्योंकि प्रकरण पहले से ही 12 वर्ष से अधिक चल चुका है, अतः वे (अपर आयुक्त) उपरोक्त समस्त कार्यवाही पूर्ण करते हुए, अपना अपीलीय निर्णय, समस्त प्रासंगिक बिन्दुओं को कव्हर कर बोलते हुए आदेश के माध्यम से, इस आदेश की संसूचना के 6 माह के भीतर पारित करें । प्रकरण दा0 द0 हो। समस्त अभिलेख अपर आयुक्त, रीवा को भेजा जाए ।

(आशीष श्रीवास्तव)
सदस्य
राजस्व मण्डल, मध्य प्रदेश
ग्वालियर